

16-8-23

बार-बार आवाज दिलवाने के बाद भी न ले
अपील न ही अपील अधिवक्ता उपस्थित
हुये। रैस्पोंडेंट उपस्थित। पत्रावली अंश
हाजरी अंश पत्रों में खारिज की
जाती है। पत्रों में मूल शुभा की
आकर नैक से काम की जावे।
बाद जाता काबिल रहता है।

(मुनिदेवचौहान)

मु प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकरण
भरतपुर (राज.)